



विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जौन

क्रमांक / अकादमिक / सम्बद्धता / 2018 / 1737
प्रति,

दिनांक : 04/08/18

प्राचार्य,
आरथा महाविद्यालय
52, "नन्दन" कन्याशाला रोड, मनारा, जिला—नीमच।

विषय : विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में निर्भित परिनियम क्रमांक 27 के प्रावधानान्तर्गत अस्थाई सम्बद्धता प्रदान करने के संबंध में।

संदर्भ :- महाविद्यालय वा ऑनलाइन सम्बद्धता आवेदन क्रमांक / VU1805080004 दिनांक 09.05.2018

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत में नवीन संकाय / नवीन विषय / सीट संख्या वृद्धि की जाने / संबद्धता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण दिनांक 11.06.2018 को किया गया। प्रकरण पर विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 13.07.2018 में विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की पूर्व बैठक दिनांक 22.06.2018 के संशोधन के साथ पुनः पुस्ति की गई जिसमें विन्दू क्रमांक 07 में प्रस्तुत प्रस्ताव में संशोधन के साथ निम्नानुसार निर्णय लिया गया, "आरथा गहविद्यालय, जिला—नीमच को सत्र 2018–19 में बी.ए.–प्रथम वर्ष (आ.पा.अंग्रेजी साहित्य, भूगोल, राजनीति विज्ञान), बी.बी.ए.–प्रथम वर्ष, बी.सी.ए.–प्रथम वर्ष की अस्थाई सम्बद्धता प्रदान करने हेतु स्वीकृति एवं निरंतरता संशर्त मान्य की गई।"

उक्त बैठक के निर्णय के अनुसरण में महाविद्यालय को निम्न विवरणानुसार सत्र 2018–19 में शर्तों के अधीन कार्यपरिषद् के अनुसोदण की प्रत्याशा में नियात अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती है :-

क्र.	पाठ्यक्रम	सीट संख्या
01.	बी.बी.ए.–प्रथम वर्ष	60
02.	बी.सी.ए.–प्रथम वर्ष	60
03.	बी.ए.–प्रथम वर्ष(आ.पा.अंग्रेजी साहित्य, भूगोल, राजनीति विज्ञान)	60

- शर्त :-** 01. विद्यापरिषद् की स्थायी रामिति की बैठक दिनांक 13.07.2018 में लिये गये निर्णय का पालन करना सुनिश्चित करने।
02. महाविद्यालय ने प्राचार्य एवं पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति परिनियम क्रमांक 28 के अन्तर्गत करायी जाये।
03. कम्यूटर प्रयोगशाला में 08(आठ) और सिरटम क्रय कर रखे जाये।
04. पुस्तकालय में ग्रन्थपाल तथा स्पोर्ट शिक्षक की नियुक्ति भी की जाये।
05. पुस्तकालय ने प्रत्येक पाठ्यक्रमों से संविधित प्रत्येक विषय की 10(दस)–10(दस) पुस्तकें नवीन संरक्षण की क्रय कर रखे जाये। पौन्छ(05) लोहे की अलमारी शीरों की बिन्डों वाली क्रय की जाये जिससे पुस्तकों का रख रखना समुद्धित ढांग से हो सके। पुस्तकालय में एक्सेसन रजिस्टर एवं इश्यू रजिस्टर छात्रों को पुस्तकालय में बैठकर पढ़ने हेतु पर्याप्त मात्रा में फर्नीचर रखे जाये।
06. ट्वालेट्स में एक्जारट फैग लगाये जाये।
07. खेल मैदान को और सुधारवित्त कर छात्रों को विभिन्न खेलों की सामग्री उपलब्ध करायी जाये।
08. महाविद्यालय परिसर में वृक्षारोपण लगाये जाये।

11211

- * उपरोक्त कमियों की पूर्ति आवश्यक रूप से शिघ्र पूर्ण करें, अन्यथा सम्बद्धता पर पुनःवियार किया जावेगा।
- * उपरोक्त महाविद्यालय के अस्थाई सम्बद्धता आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन, भोपाल का अनापरि पत्र क्रमांक / 965 / 605 / आउशि / सम्बद्धता / 2018 / भोपाल, दिनांक 30.01.2018 के आधार पर व्रदान की गई है।
- * उपरोक्त पाठ्यक्रमों के द्वितीय वर्ष की सम्बद्धता हेतु आगामी सत्र में निर्धारित समयावधि में आवेदन एम.पी.ऑनलाइन के माध्यम से करना सुनिश्चित करें।

अ.देशानुसार


कुलसचिव

मांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2018/1738

प्रतिलिपि:

दिनांक : 04/09/

1. आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन भोपाल।
2. क्षणिय अंतिरिद्दित संदर्भक उच्च शिक्षा उज्जैन सभाग, उज्जैन।
3. क्षणिय न.देशव, राष्ट्रीय आर्योपक शिक्षा परिषद, मानस भवन, श्यामला, रोड भोपाल।
4. निदेशव, महाविद्यालयीन पिकास परिषद, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन।
5. प्राचार्य, उबंधित अग्रणी महाविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय परिषद, उज्जैन।
6. उपकुलसचिव/सहायक कुलसचिव, परीक्षा/गोपनीय/लेखा विभाग पिक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
7. प्रम.री, ऑनलाइन सेल, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
- ✓ 8. प्रमाणी डॉ. पूर्णा रामेश, वौं और प्रेदिप कर सूचित है कि, उपरोक्त पत्र विश्वविद्यालय की अस्थाई पर उपलोड करने का काम करें।
9. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन की ओर सूचनार्थ।

उपकुलसचिव(अकादमिक)